Date of Order or Proceeding

Order of P...

THE COURT

12.10.2022

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।
आवेदक सबजेल पोहरी में निरूद्ध।
आवेदक की ओर से श्री मंजर अली अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति हेतु नियत है।
थाना पोहरी से केस डायरी प्राप्त।
आवेदन सी.आई.एस. में पंजीबद्ध किया जाए।

इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 437 द. प्र.सं.1973 दिनांक 11.10.2022 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन इस आशय का है कि पुलिस थाना पोहरी ने प्रार्थी के विरूद्ध मिथ्या धारा 380 भा.दं.स. का प्रकरण पंजीबद्ध कर निरोध में ले लिया है, प्रार्थी वर्तमान में सबजेल पोहरी में निरूद्ध है। प्रार्थी का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी को पारिवारिक विवाद के चलते प्रार्थी की मां की मिथ्या रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी ने झूठा फंसाया है। प्रार्थी का उक्त अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। वर्तमान समय कृषि का है, प्रार्थी की खेतों में फसले खडी है जो कि प्रार्थी के निरोध में रहने की दशा में उसकी फसल बर्बाद हो जायेगी, जिससे प्रार्थी को अकारण क्षति होगी एवं उसके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौवत आ जायेगी। प्रार्थी की ग्राम में चल–अचल संपत्ति स्थित है एवं उसके जमानत पर रिहा होने के पश्चात् भागकर जाने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष को सुना गया ।
केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पुलिस थाना पोहरी द्वारा दिनांक 01.10.2022 को फरियादी भूरी की सूचना पर आरोपी गोलू के विरूद्ध अपराध क्रमांक **218/2022** अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. 1860 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त को दिनांक 01.10.2022 गिरफ्तार कर न्यायलाय के समक्ष पेश किया गया। उक्त दिनांक से ही अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पोहरी में निरूद्ध है। उक्त अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या सात वर्ष के कारावास से अधिक अवधि से दंडनीय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अर्नेश कुमार वि0 बिहार राज्य 2014 (8) एससीसी 273, तथा जरीना बेगम विरूद्ध म.प्र. राज्य एम0सी0आर0सी0 नम्बर–30933/2020 आदेश दिनांक 13.05.2021 अवलोकनीय है–** मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः उक्त न्याय दृष्टांत के

GCPB—43—DCGCPB—10-6-21—5,00,000.

Scanned with CamScanner

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आलोक मे अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य **50,000 / –(पचास हजार)रूपये** की सक्षम प्रतिभूति एवं बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया जावे कि वह अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित, प्रताड़ित या प्रलोभित नहीं करेगा, विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे प्रतिभूति पर स्वतंत्र किया जावे।

केस डायरी वापस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण जमानत प्रस्तुति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

12.10.22

(अविनाश छारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

पुनश्चः–

आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से जमानतदार करन सिंह कुशवाह पुत्र हल्लूली नि. ...... ग्र. पोहरी जि. शिवपुरी

ने अभियुक्त की **50,000 / –(पचास हजार)रूपये** की जमानत पेश की। श्री मंजर अली अधिवक्ता द्वारा जमानतदार की पहचान की गई। आधार कार्ड से भी जमानतदार की पहचान होती है।

बाद विचार एवं बाद तस्दीक जमानत स्वीकार की गई।

अभियुक्त का रिहाई आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 14.10.2022 को पेश हो।

12-10-22

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

करनसिंह
identified by me.
12/10/22
केसडायरीप्राप्तहुई

Scanned with CamScanner